कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/ नियुक्ति/आरपीएससी–15/2017 दिनांक 22.06.2017 द्वारा राजस्थान लोक सेवां आयोग द्वारा व्याख्याता हिन्दी के पद पर चयनोपरान्त श्री सम्पतराम मेरिट सं. 1640 का काउसंलिग के द्वारा पदस्थापन व्या. हिन्दी के पद पर राउमावि दत्ताणी–रेवदर सिरोही में पदस्थापन किया गया था।

श्री सम्पतराम के द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/नियुक्ति/ आरपीएससी–15/2017 दिनांक 22.06.2017 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष याचिका संख्या 13176/2018 दायर की गई। जिसमें याची ने गुहार की कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की गलती की वजह से पूर्व में याची को वरीयता क्रमांक–1640 दिया गया जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार संशोधित परिणाम में याची का वरीयता क्रमांक–1079 दिया गया है । इस प्रकार आरपीएससी की गलती की वजह से मेरी वरीयता का ह्रास हुआ जिससे मुझे नियुक्ति मेरे अधिवास स्थल से दूर मिली । अतः मेरा पदस्थापन बीकानेर जिले में किया जावे ।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा प्रकरण में दिनांक–05.09.18 को निर्णय पारित करते हुए याचिकार्थिया को विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं अप्रार्थी विभाग को उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नियमानुसार करने के निर्देश प्रदान किये ।

माननीय न्यायालय के निर्णय के कम में प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन व मनन करने तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर स्पष्ट है कि याची की काउसलिंग के समय काउसलिंग के लिये निर्धारित रिक्तियों मे से चयन का अवसर दिया गया एवं याची द्वारा उसी कम में विकल्प प्रस्तुत किया जिसके अनुसार याची का पदस्थापन किया गया । याची की काउसलिंग एवं रिशफल परिणाम के फलस्वरूप प्राप्त अभिस्तावना से प्राप्त अशार्थियों की काउसलिंग के मध्य एक वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका था । रिक्तियों की उपलब्धता एवं काउसलिंग के लिये रिक्तियों का निर्धारण समय–समय पर भिन्न होता है और यह भी आवश्यक नहीं कि सभी रिक्तियों को काउसलिंग के लिये शामिल किया जावे । रिक्तियों का निर्धारण विभाग की आवश्यकता एवं प्राथमिकतानुसार किया जाता है । व्याख्याता का पद राज्य स्तरीय पद है और किसी भी व्याख्याता का पदस्थापन राज्य में किसी भी स्थान प्रर किया जा सकता है । अतः याची का अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है ।

सभी सम्बन्धित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–7/कोर्ट केस/सम्पत राम/या.सं. 13176/2018/ दिनांक–**20.12.2018**

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित –

1. संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी /ब्लॉक शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर
4. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाईट पर अपलोड हेतु
6. संबधित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर